समक्ष-न्यायालय श्रीमान् राजस्व न्यायालय बोर्ड ग्वालियर केम्प सागर,म.प्र.

R-138-II/16

1.सीताराम चौरसिया वल्द प्यारेलाल चौरसिया

2.मुन्नालाल वल्द गौरीशंकर

दोनों निवासी-ग्राम करैरादेव, हाल निवासी-

तिली वार्ड सागर,म.प्र.

... रिवीजनकर्तागण

।। विरुद्ध ।।

प्रकाश पिता शिवशंकर चौबे,

निवासी-सनराईजटाउन तिली वार्ड सागर,

तहसील व जिला सागर,म.प्र.

...अनावेदक /उत्तरदाता

रिवीजन प्र0क्र0

तारीख प्रस्तुति-23.11.2015

तारीख पेशी-

आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

रिवीजनकर्तागण श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सागर के न्यायालय में लंबित प्रकरण जिसमें आगामी पेशी 7.12.15 को नियत है उक्त राजस्व अपील प्र0क्र0 553अ/6(अ) वर्ष 2014-15 पक्षकार प्रकाश चौबे विरुद्ध सीताराम वगैरा में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 10.11.2015 के खिलाफ, निम्न आधारों पर रिवीजन पेश करता है:

रिवीजनकर्तागण निम्नलिखित निवेदन करते हैं:-

रिवीजन के आधार

1. यह कि, प्रतिअपीलार्थी प्रकाश चौबे के द्वारा 16 माह बाद समय सीमा के बाद माननीय निम्न न्यायालय में एक अपील दिनांक 13.5.15 को प्रस्तुत की गई थी उक्त अपील के साथ धारा 47 म.प्र.

सीताराम चौरसिया

XXX[illegible](a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.138 II/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.1.16	प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने गए। उन्होंने तर्क में निगरानी मेमो में लिखे विभिन्न बिन्दुओं की पुनरावृत्ति की। तर्क के प्रकाश में मैंने नस्ती के अभिलेख का परिशीलन किया एवं प्रकरण पर गम्भीरता से विचार किया। इस आधार पर मैं यह पाता हूँ कि आरोपित आदेश दि. 10-11-15 द्वारा SDO ने प्रकरण में केवल विलम्ब माफ किया है, गुणदोष पर सुनवाई एवं विचार उन्हें अभी करना शेष है। मेरा यह भी मानना है कि नक्शे में बटांक निर्धारित करते समय, किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं मिलना एवं उसके हितों का तकनीकी कारणों से संरक्षण नहीं होना, उचित नहीं होगा। अतः, मैं SDO द्वारा पारित आरोपित आदेश दि. 10-11-15 यथावत रखता हूँ। साथ ही SDO-सागर को यह निर्देश देता हूँ कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके न्यायालय में अपीलार्थी या वैसे कोई अन्य व्यक्ति जो हितबद्ध हों, उनकी न्यायालयीन प्रक्रिया	

[कृ. प. उ.

R-138-II/16

स्थान तथा दिनांक	सीताराम कार्यवाही तथा आदेश प्रकाश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

के विचारण से अब छूटें, एवं इस कारणवश आगे किसी न्यायालयीन वाद की स्थिति यथासम्भव नहीं बने। साथ ही, उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए एवं समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुए, SDO उनके न्यायालय के प्रकरण का, इस रा.मं. के आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम 3 माह के भीतर, विधिवत निराकरण सुनिश्चित करें। पक्षकारगण एवं हितबद्ध व्यक्ति इस समयबद्ध निराकरण के लिए SDO को सहयोग दें।

आदेश पारित।
प्रकरण समाप्त।
पक्षकार एवं SDO-सागर सूचित हों।
दा.द. हो।

4-1-16